भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3708

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

पीडीएस योजना के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

3708. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री राजेश वर्मा:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

श्रीमती शांभवी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र सहित सम्पूर्ण देश में पीडीएस के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारत सरकार/वित्त मंत्रालय पीएमजीकेएवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) के तहत राज्यवार निधियां आबंटित नहीं करता है, बल्कि खाद्य सब्सिडी के लिए निधियां एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) और उन राज्यों को जारी की जाती है, जिन्होंने लक्षित लाभार्थियों को खाद्यान्नों के वितरण के आधार पर विकेंद्रीकृत खरीद को अपनाया है। महाराष्ट्र सहित विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति अपनाने वाले राज्यों को उनके तिमाही खाद्य सब्सिडी दावों के आधार पर अनंतिम खाद्य सब्सिडी जारी की जाती है, जोकि एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है। स्टॉक के अथ शेष और अंत शेष, विभिन्न केंद्रीय स्कीमों के तहत खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और वितरण, भारतीय खाद्य निगम के समाधान, प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, आदि को ध्यान में रखते हुए दावों को संसाधित किया जाता है। पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार को जारी खाद्य सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है:-

...2/-

वित्तीय वर्ष	जारी की गई सब्सिडी की कुल राशि (करोड़ रुपए में)
2019-20	1920.17
2020-21	2555.74
2021-22	4082.07
2022-23	2725.75
2023-24	3923.29
2024-25 (दिनांक 30.11.2024 तक)	327.74

(ख): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न (गेहूं, चावल और मोटे अनाज) आबंटित करता है। एनएफएसए के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को कुल खाद्यान्न आबंटन 46.26 लाख टन प्रति माह है, जिसमें एनएफएसए के तहत महाराष्ट्र को प्रति माह आबंटित 3.84 लाख टन खाद्यान्न (2.46 लाख टन गेहूं और 1.38 लाख टन चावल) शामिल है।

लक्षित आबादी के बीच पोषणयुक्त चावल के एकसमान पोषण प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) में कस्टम-मिल्ड चावल के स्थान पर पोषणयुक्त चावल को शामिल किया है।

(ग): महाराष्ट्र में एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) और पीएचएच (प्राथमिकता वाले परिवार) स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 108.01 लाख और 592.16 लाख है।

*****